25/5/19 प्रस्तावित पत्र [illegible] अग्रेषित दौरे पर है। अतः पत्रावली [illegible] अग्रिम कार्यवाही दिनांक [illegible] को पेश हो।

24.6.19 वर्तमान पत्रावली में वाद प्रस्तुत हेतु [illegible] प्रस्तुत करने आदेश दिया गया था कि 5-7-19 को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी

5.7.19 पत्रावली पेश। उभय पक्षों के वर्तमान प्रार्थी उपस्थित व्यामोह की ओर से बार बार कहने पर भी अवकाश लगाया परन्तु उपस्थित नहीं आए। प्रार्थना अदम हानि से अदम पैरवी प्रार्थी कारण किया जाता है पत्रावली फैसल हेतु अग्रेषित करने से तथा वाद तकनीक कर्मचारी कार्यालय दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़